कार्यालय प्राचार्य
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट
एयरपोर्ट रोड़, महाराज पुरा, ग्वालियर–474020

टेण्ड़र नियम (श्रेणी)

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 27.12.2017 समय 04.00 बजे तक एवं निविदा खोलने की दिनांक 28.12..2017 समय 11.00 बजे ।

1. पूर्तिकर्ता एक या सभी श्रेणियों के लिये निविदायें अलग अलग प्रस्तुत कर सकता है।
2. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बतायें इस संस्था प्राचार्य को रहेगा ।
3. संस्था के जारी किये गये निर्धारित प्रारूप में निविदायें प्रस्तुत करना हैं अन्यथा निविदा निरस्त समझी जायेगी।

निविदाओं की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. सामग्री शुद्ध, ताजी, स्वच्छ व साफ की हुई होना चाहिये।
2. सामग्री संस्था में पहुचा कर देनी होगी । इसके लिये कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जायेगा।
3. निविदा में स्वीकृत दरें दिनांक 01.01..2018 से दिनांक 31.12.2018 तक मान्य रहेगी ।
4. सामग्री आवष्यकतानुसार समय समय पर क्रय की जायेगी। जिस हेतु संस्था द्वारा प्रदाय आदेष जारी किया जायेगा। यदि सामग्री मांगे गये समय पर प्रदाय नहीं होती है तो बाजार से क्रय की जायेगी। जिसका अतिरिक्त व्यय (अन्तर) टेक्सी भाड़े सहित प्रदायकर्ता के भुगतान बिल से काट लिया जायेगा।
5. सामग्री का भुगतान शुद्ध वजन पर किया जायेगा।
6. बारदाना/टीन अथवा किसी भी अन्य सामान में जिसमें सामग्री प्रदाय की गई है, जिसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. सामग्री की दरें क्विटल/किलो/दर्जन/लीटर में अंकित करें ।
8. सामग्री का भुगतान एनइएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा।
9. प्रति निविदा के साथ सुरक्षा/जमानत राषि रूपये 40,000.00 (रू.चालीस हजार मात्र) बैक ड्राफ्ट जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त समझी जायेगी बैक ड्राफ्ट सचिव होटल प्रबंध संस्थान ग्वालियर के पक्ष में होना चाहिये ।
10 बिना मौसमी सामग्री (अनसीजनेबल आईटम) मँहगाई होने पर दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
11 टिन अथवा पैकेट सामग्री का मैक/मात्रा/ब्रांड अवष्य दें ।
12. सामग्री से संबंधित साहित्य व तकनीकी जानकारी यदि हो तो निविदा के साथ संलग्न करें । प्रत्येक निविदा श्रेणी के साथ दर्षाई गई धरोहर एवं निविदा राषि रूपये 2000.00 (वापिस नही होगी) बैक ड्राफ्ट सचिव होटल प्रबंध संस्थान ग्वालियर के पक्ष में होना चाहिये ।संस्थान में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा निविदा के साथ संलग्न करना होगी । पूर्व में जमा की गई जमानत राषि मान्य नहीं होगी चैक मान्य नहीं किये जायेगे।
13. निविदा जिस लिफाफे में भर कर प्रस्तुत करें उस पर निविदा श्रेणी – (अ/ब/स) (द हाउसकीपिंग) के लिये लिफाफे के बांई ओर कोने पर लिखा होना चाहिये। तथा निविदाकार का पुराना तथा नया पता भी दर्षाया हुआ होना चाहिये।
14. निविदा में दी जाने वाली दरों में सभी तरह के कर सम्मिलित होगें तथा इस मद में कोई भी दावा पृथक से मान्य नहीं होगा।

15. रोजाना काम में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति मांग कर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित तरीके से की जायेगी। किसी भी प्रकार उल्लघन अनुबंध को भंग करना माना जायेगा तथा अनुबंध में प्रस्तावित हर्जाना लगाया जायेगा। जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना पूरा माल एक मुश्त संस्थान के भण्ड़ार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु के वजन में कमी को आपूर्ति न माना जायेगा तथा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यावाही की जायेगी।

16. संस्थान के प्राचार्य किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा के सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

17. शर्तो के साथ प्रस्तुत न की जाने वाली निविदायें निरस्त मानी जायेगी ।

18. सरकार द्वारा नियंत्रित जैसे– रसोई गैस, डीजल इत्यादि दरों के अलावा, किसी भी मद में करार की अवधि के दौरान दरों में फेर बदल नहीं किया जायेगा ।

19. समस्त निविदाकार को रूपये 100–00 के स्टाम्प पर अनुबंध के विधिबत पालन के लिये अनुबंध करना होगा/बिना अनुबंध किये व जमानत राषि जमा कराये, निविदा–कार संस्थान में माल प्रदाय नहीं कर सकेगा।

20. मांग आदेष के आधार पर आपूर्ति की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये। घटिया स्तर का माल प्रदाय करने पर संस्थान के अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया माल निविदाकार को स्वंय के खर्चे पर तुरन्त ही वापस लेजाना होगा अन्यथा उक्त निरस्त किये गये माल को संस्थान में से न उठाये जाने हेतु रूपये 50 /–प्रतिदिन भंण्ड़ारण शुल्क बसूल किया जावेगा तथा इस प्रकार वापिस ले जाये गये माल के एवज में बाजार से खरीदे गये माल की दर तथा निविदा की दर के अन्तर में टेक्सी भाड़ा जोड़कर निविदाकार से बसूल किया जावेगा। निष्चित अवधि में आपूर्ति न किये जाने पर जैसा ऊपर दर्षाया गया है, उसी प्रकार कार्यवाही की जावेगी।

21. सामग्री की सप्लाई संस्था में प्रातः 8–30 बजे से 9–30 बजे तक प्रदाय करनी होगी ।

22. ठेकेदार सामग्री प्रदाय करने का माहवारी बिल अपने छपे हुए बिल फार्म अर्थात फर्म का नाम, रजिस्ट्रेषन, लायसेंस नम्बर, सेल्स टैक्स नम्बर, मय बिल नम्बर आदि दो प्रति में भुगतान हेतु माह समाप्त होने पर शीघ्र कार्यालय में जमा करें,सादे कागज पर प्रस्तुत किये गये या अन्यथा बनाये हुए देयक भुगतान हेतु मान्य नही होगा।

23. कर मुक्त प्रमाण पत्र जमा न करने की दषा में में ठेके की राषि पर (आय स्त्रोत पर) कर नियमानुसार काटा जावेगा ।

24. स्वीकृत निविदाओं की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् ही स्वीकृत निविदाकार को प्रदाय आदेष प्रादान किया जावेगा।

25. निविदा आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अभिलेख पूर्ण नहोनेकी दिषा में निविदा मान्य नही होगी।
    1. फर्म नगर निगम में पंजीयन की प्रतिलिपि।
    2. टिन नम्बर की प्रतिलिपि।
    3. फर्म का पेन नम्बर की प्रतिलिपि।
    4. विगत तीन वर्ष का सामग्री प्रदाय का अनुभव प्रमाण पत्र।(2014–15,2015–16,2016–2017)
    5. विगत तीन वर्ष के आय–व्यय का ब्यौरा की प्रतिलिपि।(2014–15,2015–16,2016–2017)
    6. वर्तमान में फर्म सामग्री प्रदाय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
    7. आपके द्वारा पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये आयकर (आई.टी.आर) की प्रतिलिपि।
    8. निविदा `बैक ड्राफ्ट राषि रूपये 2000.00(रूपये दो हजार मात्र)सचिव होटल प्रबंध संस्थान ग्वालियर के पक्ष में होना चाहिये ।
    9. सलंग्न सुरक्षा राषि रू.40,000.00 (रूपये चालीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट सचिव होटल प्रबंध संस्थान ग्वालियर के पक्ष में होना चाहिये ।

प्राचार्य